

# कार्यालय नगर परिषद कोटर जिला-सतना (म.प्र.)

www.npkotar.com, E-mail:-cmokothar@mpurban.gov.in


कोटर,दिनांक . 22/12/2021

क्र./891 /न.प./ 2021

## -:: सार्वजनिक सूचना::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद कोटर के निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच करने,पेशाब करने,थूकने,अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाने पर अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जावेगा। अर्थदण्ड का विवरण निम्नानुसार है-


क्र0	उल्लंघन की श्रेणी	उल्लंघन की श्रेणी
1	सार्वजनिक स्थानों पर या नाले में रासायनिक अपशिष्ट या हानिकारक द्रव्य बहाना।	250/- अधिकतम
2	नगरीय सीमा में बगैर अनुमिति के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक से अधिक गौवंश भैंस,बकरी,सुअर आदि पशुपालन दौडकर सडक पर गंदगी करना	100/- न्यूनतम 200/- अधिकतम
3	निर्माण एवं विध्यवंश अपशिष्ट अथवा निर्माण सामग्री फुटपाथ एवं सडक पर रखा जाना।	200/- न्यूनतम, 300/- अधिकतम।
4	विभिन्न रेस्टोरेन्ट,होटल,धर्मशाला गार्डन, हॉस्पिटल व अन्य खाद्य पदार्थ से संबंधित संस्थानों में जैविक अपशिष्ट अथवा सीधे उसे क्षेत्र की सीवरेज अथवा स्टोर्स वाटर लाईन में डालना।	प्रथम उल्लघन पर 100/- , द्वितीय उल्लघन पर 200/- अधिकतम, तृतीय उल्लघन पर 300/-,चतुर्थ उल्लघन पर व्यवसायिक लायसेंस निरंतर की कार्यवाही
5	अनामक एवं प्रतिबंधित पॉलीथीन की पन्नी आदि।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
6	ठोस अपशिष्ट जैसे कचरा,टायर, प्लास्टिक एवं अन्य सामग्री जलाने पर होने वाली गंदगी।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
7	शराब की दुकान / कलाली अहाता द्वारा गंदगी करना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
8	सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गंदगी करना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
9	सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच पेशाब करना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
10	सार्वजनिक स्थानों पर थूकना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
11	बस स्टैण्ड इत्यादि व्यवसायिक झोन में फुटपाथ एवं ठेला गाडी जलपान एवं अंडा मिला इत्यादि द्वारा गंदगी करना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम
12	शहर के विभिन्न वार्डों के पीछे की गलियों में गंदगी करना।	100/- न्यूनतम, 200/- अधिकतम

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद कोटर  
जिला-सतना (म0प्र0)

कोटर,दिनांक . 22/12/21

पृष्ठ.क्र./ 892 /न.प./ 2021  
प्रतिलिपि:-

1. संपादक दैनिक जागरण समाचार पत्र सतना की ओर भेजकर लेख है कि अपने अगले अंक में एक दिवस प्रकाशन करवाया जा कर 5 हजार रु. तक देयक के साथ प्रकाशित पेपर संलग्न करवाये जाने हेतु प्रेषित।

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद कोटर